मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल

क्रमांक एफ 8–1/2016/नियम/चार भोपाल, दिनांक 22/2/2018

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
मध्यप्रदेश।

विषय :– मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 में स्पष्टीकरण बाबत।

***

म0प्र0 शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–8–1/2016/नियम/चार दिनांक 20 जुलाई 2017 द्वारा राज्य शासन के शासकीय सेवकों के लिये म0प्र0वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 तथा समसंख्यक परिपत्र दिनांक 22 जुलाई 2017 द्वारा वेतन निर्धारण संबंधी जारी निर्देश में विकल्प प्रस्तुत करने की समय सीमा एक माह तथा शासकीय सेवक द्वारा एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होना निर्धारित है।

2. प्रथम बार सॉफ्टवेयर के माध्यम से शासकीय सेवक द्वारा विकल्प प्रस्तुत किये जाने की व्यावहारिक कठिनाई को दृष्टिगत रखते हुए उपर्युक्त समय सीमा तथा एक अवसर की सीमा को वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 02–11–2017 के द्वारा दिनांक 30 नवम्बर 2017 तक बढ़ाते हुये विकल्प प्रस्तुत करने का एक और अवसर दिया गया था।

3. यह संज्ञान में आया है कि अभी भी कतिपय शासकीय सेवक उपर्युक्त समय सीमा में दिये गये एक और अवसर का लाभ नहीं ले सके हैं अथवा पुनः विकल्प प्रस्तुत करने में त्रुटि रही है। अतः शासन ने सहानुभूतिपूर्वक विचार कर यह निर्णय लिया है कि शासकीय सेवकों को पुनरीक्षित विकल्प प्रस्तुत करने का एक और अवसर दिया जाए । तदनुसार पुनरीक्षित विकल्प प्रस्तुत करने हेतुदिनांक 31 मार्च 2018 तक समय सीमा नियत की जाती है।

4. पुनरीक्षित विकल्प ऑन लाईन ही स्वीकार किया जाना अनिवार्य होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

21/2/18
(पंकज अग्रवाल)
प्रमुख सचिव
म0प्र0शासन,वित्त विभाग

Rule-230

9C

पृष्ठा.कमांक एफ 8–1/2016/नियम/चार भोपाल, दिनांक 22/2/2018

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधान सभा भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त मध्यप्रदेश भोपाल
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल
9. सचिव, राज्य निर्वाचन आोग मध्यप्रदेश भोपाल
10. रजिस्ट्रार म.प्र.राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी/आडिट) 1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल
13. अध्यक्ष व्यवसायिक परीक्षा मंडल/माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश
16. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
17. नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाल की ओर राजपत्र में प्रकाशन के लिये
18. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय भोपाल
19. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय भोपाल
20. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
21. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
22. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय भोपाल
23. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष–2, मंत्रालय भोपाल
24. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघो
25. अध्यक्ष, म0प्र0राज्य कर्मचारी कल्याण समिति भोपाल
26. सभी कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी
27. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित।

(अजय चौबे)
उप सचिव
म.प्र.शासन,वित्त विभाग

Rule-231